न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 03 / 2025 विविध जीसीएमएस केस नम्बर 2025 / 45

उनवान

1. पद्मिनी धाकड़ पत्नी श्री विवेक धाकड़ निवासी 86ए–सुभाषनगर, भीलवाड़ा हाल पता 3 / 220सेक्टर–3, नियर सुखाडिया सर्कल, सुखाड़िया नगर, भीलवाड़ा
2. अवनी पुत्री श्री विवेक धाकड़ नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता पद्मिनी धाकड़ पत्नी श्री विवेक धाकड़ निवासी 86ए–सुभाषनगर, भीलवाड़ा हाल पता 3 / 220 सेक्टर–3, नियर सुखाडिया सर्कल, सुखाड़िया नगर, भीलवाड़ा––**प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री नवल किशोर धाकड़, 86–ए, सुभाषनगर, भीलवाड़ा
2. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार बिजौलिया––**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 55 राजस्थान भू राज0 अधिनियम, 1956 बाबत् प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में हस्तांतरित करने हेतु

उपस्थित :– श्री जगदीश दाधिच – अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री गोपाल अजमेरा – अधिवक्ता विपक्षी संख्या–1

राजकीय अभिभाषक – श्री दिनेशचन्द्र तिवाड़ी विपक्षी संख्या–2 की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक :24.06.2025

1–पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 55 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थनापत्र 25–03–2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि––''वाके ग्राम बिजौलियाकलां की सरहद में आराजी स. 147 एवं ग्राम शम्भूपुरा में आराजी स. 464 / 322 एवं आराजी स. 347 / 322 मेरे पति विवेक धाकड पुत्र श्री कन्हैयालाल धाकड के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है।प्रार्थी स.01 के पति एवं प्रार्थी स.02 के पिता विवेक धाकड की दिनांक 4–4–2024 को मृत्यु हो गई है। प्रार्थीगण के परिजन विवेक धाकड की मृत्यु के बाद विपक्षी ने विवेक जी धाकड के लेटरपेड पर फर्जी वसीयत तैयार कर ली है। विपक्षी ने फर्जी वसीयत के आधार पर नामान्तरण खुलवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब बिजौलिया के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर प्रकरण दर्ज करप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जो जैर कार्यवाही होकर 23–03–2025 की पेशी साक्ष्य कन्हैयालाल हेतू नियत है। प्रकरण में 3 माह के भीतर 6 पेशीया दी जा चुकी है। प्रार्थीगण के निवेदन पर भी प्रार्थीगण को जवाब जिरह के लिए बडी मुश्किल से अवसर दिया जाता है। विपक्षी भीलवाडा का जिला प्रमुख रह चुका है। विपक्षी का राजनैतिक ऐरिया भी माण्डलगढ विधानसभा है। विपक्षी का क्षेत्र में काफी प्रभाव है। **इस कारण प्रार्थीगण को बिजौलिया एव माण्डलगढ तहसीलदार साहब से न्याय की कोई आशा नही है। इस कारण पत्रावली अन्य न्यायालय में ट्रांसफर की जाना आवश्यक एव न्यायोचित है।** प्रार्थी का यह भी कथन रहा है कि ग्राम ईरास पटवार हल्का ईरास तहसील व जिला भीलवाडा की सरहद में प्रार्थीगण के परिजन विवेक जी धाकड के नाम कृषि आराजियात स्थित है। इस आराजियात के सम्बन्ध में वसीयत के आधार पर नामान्तरण नायब तहसीलदार साहब सुवाणा के समक्ष विचाराधीन है जिसका अनवान कन्हैयालाल बनाम पदमिनी प्रकरण स.06 / 2025 वसीयत नामान्तरण है। इस प्रकार तहसीलदार साहब बिजौलिया एवं नायब तहसीलदार साहब सुवाणा के समक्ष विचाराधीन नामान्तरण कार्यवाही में समान प्रश्न अन्तर्विष्ट है एवं दोनो प्रकरण एक ही कारण पर आधारित है। दोनो प्रकरणों मे पक्षकार समान है तथा दोनो प्रकरणों की विषय वस्तु भी समान हैं। दोनो प्रकरणो मे समान निर्णय आवश्यक एवं न्यायोचित है। इस कारण दोनो प्रकरणों का एक साथ विचारण किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थीगण का यह भी कथन रहा है कि प्रार्थी स.01 राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय सुभाषनगर मे कार्यरत है एवं भीलवाडा मे ही निवास कर रही है। भीलवाडा की बिजौलिया की दूरी 90 किलोमिटर है। तथा प्रार्थी स.02 नाबालिग होकर अध्यनरत है। प्रार्थीगण और विपक्षी के मध्य फौजदारी प्रकरण भी विचाराधीन है। तथा पक्षकारान के मध्य जमीन जायदाद को लेकर भी मुकदमे चल रहे है। इस कारण प्रार्थीगण

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा